meaningful. The Participation of Workers in Management Bill was, therefore, drawn up and introduced in the Rajya Sabha on May 30, 1990 to make provisions for the Participation of workers in management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry and to provide for matters connected therewith or incidental thereof. The Bill has been referred to the Parliamentary Standing Committee on Labour and Welfare for examination and report.

उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

*89. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या उद्योग मंत्री 7 दिसम्बर 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 830 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो चुकी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उसके लिए अनुमोदन/स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में शीघ्रता करने के लिए राज्य सरकार को कोई निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में अनेक अनुस्मारक-पत्र भेजे गये हैं, अंतिम अनुस्मारक-पत्र 10 दिसम्बर, 1998 को भेजा गया है।

नई दिल्ली नगर परिषद् की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

*90. श्री मुनव्वर हसन: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली नगर परिषद् की उस भूमि का ब्यौरा क्या है जिस पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है;

(ख) उक्त भूमि पर कब से अतिक्रमण किया गया है तथा भूमि को खाली कराने के लिए नगर परिषद् द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा नगर परिषद् की भूमि से अवैध अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) नई दिल्ली नगर परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार एन डी एम सी भूमि पर 6 झुग्गी-झोपड़ी समूह हैं जिन्होंने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 2.3 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

(i) महर्षि दयानंद कैम्प, चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के पीछे

(ii) मान सिंह रोड

(iii) धोबी घाट सं॰ 15, साउथ एवेन्यू मार्किट

(iv) बंगाली कैम्प, ईस्ट किदवई नगर

(v) अर्जुन दास कैम्प, वैस्ट किदवई नगर

(vi) एस डी मंदिर के पीछे, नौरोजी नगर मार्किट।

इसके अतिरिक्त उनकी भूमि में अतिक्रमण के दो और मामले हैं (i) श्री अरविन्दो मार्ग में, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने (ii) ए और बी ब्लाक के बीच इंडियन कापी हाउस के निकट, इम्पीरियम बिल्डिंग, बाबा खड़गसिंह मार्ग

(ख) और (ग) रिपोर्ट अनुसार मान सिंह रोड पर झुग्गी झोपड़ी समूह को छोड़कर सभी झुग्गी झोपड़ी समूह 31.1.1990 से पहले मौजूद थे। मान सिंह रोड पर झुग्गी झोपड़ी समूह 1990 के बाद बना। श्री अरविन्दो मार्ग पर और बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर अन्य दो अधिक्रमण की क्रमशः 1982 और 1992 से मौजूद थे और न्यायालय के रोक आदेश के कारण नहीं हटाए जा सके थे। मान्य झुग्गी-झोपड़ी समूहों को उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थल उपलब्ध होने पर एम सी डी के स्लम विकास के जरिए राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा हटाया और पुनर्वास किया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को हुआ घाटा

*91. श्री डी॰ पी॰ यादव: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को वर्ष 1998 के दौरान करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;